Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

लोकेश वगैरह बनाम रत्तीराम वगैरह

किस्म मुकदमा – राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 188 मुकदमा संख्या 37/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2024	लोकेश पुत्र श्री जगदीश जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा .....वादी बनाम 1.रत्तीराम पुत्र छाज्या जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा वगैरह .....प्रतिवादीगण दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 उपस्थित 1. श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट– वादी 2. वादी स्वयं निर्णय दिनांक 09.03.2024 आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो किया जाने वाद पत्र पेश किया। वादी ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में आगे कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहता हूं। मेरा वाद स्थगन कर यही पर समाप्त करने की कृपा करे। मैं उनवानी प्रकरण को आगे नहीं चलाकर विड्रो करना चाहता हूं। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्ररकण को विड्रो किये जाने की इजाजत फरमाई जाकर वादपत्र को विड्रो के आधार पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है। हमने वादी व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दावा अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अडचन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने विड्रो दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्व अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2024.03.18 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner